भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5541
26.07.2019 को उत्तर के लिए

वन भूमि पर खनन क्रियाकलाप

5541. श्री चन्द्रेश्वर प्रसादः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बिहार सहित देश में खनन प्रयोजनार्थ वन भूमि का एक बड़ा भू-भाग दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के वन क्षेत्र में बिना वैध खनन पट्टे के कुछ लोग अवैध खनन क्रियाकलाप कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने खनन क्रियाकलापों के कारण घने वन क्षेत्र के अनुमानित विनाश और पारिस्थितिकी और पर्यावासों पर इसके प्रभाव का आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) : संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सिफारिश पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) खनन कार्य सहित गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग की पूर्वानुमति प्रदान करने हेतु किए गए प्रस्तावों पर विचार करता है। खनिज संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, मंत्रालय ऐसी अनुमतियां प्रदान करता है जिन पर मामला-दर-मामला के आधार पर विचार किया जाता है। विगत तीन वर्षों में खनन के प्रयोजनों से अनुमत वन-क्षेत्रों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) और (ग) : बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, बिहार राज्य में अवैध खनन की छुट-पुट घटनाएं हुई हैं, जिनके विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत संगत प्रावधानों के अनुसार मुकदमें दर्ज़ किए गए हैं। वन विभाग, बिहार सरकार द्वारा वन-क्षेत्रों में अवैध खनन करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। विगत तीन वर्षों में, बिहार राज्य में अवैध खनन करने वालों के विरूद्ध दर्ज़ किए गए अभियोजन का ब्यौरा निम्नवत् है:

वर्ष	अवैध खनन के विरूद्ध दर्ज़ किए गए मामलों की संख्या
2018-2019	73
2017-2018	143
2016-2017	340
कुल	556

(घ) और (ड.) सरकार : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) तथा राज्य द्वारा खनन प्रयोजनों के लिए वन क्षेत्र के उपयोग हेतु विशिष्ट प्रस्तावों के संबंध में वन और संबंधित क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर खनन कार्य के प्रभाव का आकलन करने हेतु जैव-विविधता आकलन अध्ययन कराए जाते हैं। ऐसे प्रस्तावों के संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए इन अध्ययनों में की गई सिफारिशों पर विचार किया जाता है।

(च) : प्रत्येक राज्य सरकार के पास उसकी अपनी वैज्ञानिक, सामाजिक और प्रशासनिक अपेक्षा के अनुसार वन भूमि और वन संसाधनों के प्रशासन, प्रबंधन तथा संरक्षण हेतु वन कार्मिकों से युक्त एक सुसंगठित विभाग है। इसके अलावा, अवैध खनन के नियंत्रण और निवारण के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं:

i. उपग्रहों से प्राप्त चित्रों का उपयोग करके अवैध कार्य-कलापों के विस्तार की निगरानी और आकलन।

ii. सशस्त्र वन कार्मिकों की तैनाती।

iii. सरकार के समरूप विभागों और पुलिस, सिविल प्रशासन आदि जैसी संबंधित एजेंसियों को शामिल करके समन्वित प्रयास।

iv. प्रभावित स्थानों में भौगोलिक सूचना तंत्र (जीआईएस) की संस्थापना और उनका मानचित्र तैयार करना।

v. भारतीय वन अधिनियम, 1927, राज्य विशिष्ट वन अधिनियम, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और उनके अधीन बनाए गए नियमों एवं दिशा-निर्देशों के तहत उपयुक्त प्रावधानों का कार्यान्वयन।

****

अनुबंध-I

'वन भूमि पर खनन क्रियाकलाप' के संबंध में श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद द्वारा दिनांक 26.07.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5541 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत पिछले तीन वर्षों में वन भूमि के अपवर्तन हेतु मामले (राज्य-वार और वित्तीय वर्ष-वार) को दर्शाने वाला विवरण

श्रेणी: **खनन**	अवधि के दौरान : **01/04/2016 से 31/03/19 तक**
मामले की स्थिति: **अनुमोदित**	

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-2017		2017-2018		2018-2019		कुल योग	
		अनुमोदित		अनुमोदित		अनुमोदित		अनुमोदित	
		मामलों की संख्या	अपवर्तित क्षेत्र (हे. में)	मामलों की संख्या	अपवर्तित क्षेत्र (हे. में)	मामलों की संख्या	अपवर्तित क्षेत्र (हे. में)	मामलों की संख्या	अपवर्तित क्षेत्र (हे. में)
1	आंध्र प्रदेश	4	14.98	4	16.68	4	14.53	**12**	**46.19**
2	छत्तीसगढ़	4	678.57	1	75.06	5	601.47	**10**	**1355.09**
3	गोवा	0	0.00	1	17.31	0	0.00	**1**	**17.31**
4	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00	1	2.18	**1**	**2.18**
5	झारखंड	3	239.35	0	0.00	2	273.42	**5**	**512.77**
6	कर्नाटक	2	37.87	0	0.00	1	100.54	**3**	**138.41**
7	मध्य प्रदेश	5	387.76	2	192.18	2	535.33	**9**	**1115.27**
8	महाराष्ट्र	4	2.65	2	479.35	0	0.00	**6**	**482.00**
9	मेघालय	1	4.82	0	0.00	0	0.00	**1**	**4.82**
10	ओडिशा	6	240.70	8	1755.22	1 1	3459.89	**25**	**5455.81**
11	राजस्थान	0	0.00	0	0.00	0	0.00	**0**	**0.00**
12	तेलंगाना	0	0.00	4	1443.26	3	498.34	**7**	**1941.60**
13	त्रिपुरा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	**0**	**0.00**
14	उत्तराखंड	1	35.36	0	0.00	0	0.00	**1**	**35.36**
15	पश्चिम बंगाल	2	122.95	1	57.00	0	0.00	**3**	**179.95**
कुल		**32**	**1765.00**	**23**	**4036.06**	**29**	**5485.70**	**84**	**11286.76**